निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या ए 141/2019 दावा
दायरा दिनांक :– 28.11.2019
निर्णय दिनांक :–

उनवान

श्यामलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति छीपा निवासी बारां तहसील व जिला बारां

बनाम

गोपाल पुत्र नन्दकिशोर जाति सेन (नाई) निवासी बाबजी नगर मालियों की बाड़ी, बारां तहसील व जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके माल ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का तहसील बारां जिला बारां में खसरा नं0 335 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 336 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नं0 337 रकबा 0.27 हैक्टर कुल किता रकबा 0.29 हैक्टर स्थित है जिसका वादी खातेदार कृषक है।

वादी उपरोक्त भूमियों को अपने कब्जे काश्त नियमित रूप से उपयोग करता चला आ रहा है। किसी भी व्यक्ति का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। कुछ भू भाग पर वादी ने अपना कच्चा पत्थरों का कोट करवा रखा है तथा कुछ भू भाग खाली पड़ा हुआ है जिस पर भी वादी ही काबिज चला जा रहा है। इस प्रकार वादी अपने खाते की भूमियों पर निरन्तर काबिज काश्त है।

प्रतिवादी कभी कभी वादी को धमकी देता है कि तुम इन भूमियों को काश्त मत करों, इनसे अपना कब्जा हटाओं जबकि प्रतिवादी का वादी के खातेदारी की भूमियों से कोई लेना देना नहीं है। दिनांक 15.11.2019 को जब वादी आने खाते पर मोजूद था। प्रतिवादी वहां आ गया तथा वादी को धमकी दी कि तुम आयन्दा यहां खेत पर मत आना अन्यथा तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। वादी ने प्रतिवादी से काफी कहा कि यह उसके खाते की भूमियां है, जिस पर उसको आने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, वह वादी से इस प्रकार बर्ताव नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

कर सकता। बामुश्किल गवाहान के समझाने से प्रतिवादी वापस गया लेकिन एलानियां धमकी दी कि यदि तुम कभी इस भू भाग पर आओगे तो तुम्हारी खेर नहीं है। अतएव वादी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वादी के खाते की भूमियों पर जबरन मदाखलत न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा वादी को अपने खाते की भूमियों का स्वेच्छा पूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे।

वाद कारण दिनांक 15.11.2019 को प्रतिवादी द्वारा वादी को धमकी देने के फलस्वरूप ग्राम कल्याणपुरा तहसील बारां में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रति वादी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 13.07.21 को एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 200, नकल नक्षा ट्रेस ग्राम कल्याणपुरा पेष किया गया। साक्ष्य वादी में श्यामलाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा में स्थित है। जिसका वादी खातेदार कृषक है। वादी का उक्त भूमि पर नियमित कब्जा काष्त चला आ रहा है। कुछ भाग पर वादी ने अपना कच्चा पत्थरों का कोट करवा रखा है तथा कुछ भाग खाली पडा है। जिस पर वादी का ही काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी को वादी की भूमियों से कोई लेना देना नहीं है। परन्तु प्रतिवादी वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करना चाहता है। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 200, के अनुसार वादी का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी उक्त भूमि का खातेदार कृषक नहीं है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी का वादी खातेदार कृषक है प्रतिवादी को वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काष्त है तो प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कब्जा काष्त साबित करना चाहिये था। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष साबित करने में विफल रहे है विवादित आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज है। तथा वादी का ही कब्जा काष्त चला आ रहा है। वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उप अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील बारां की आराजी खं0 नं0 335 रकबा 0.01 है0. खं0नं0 336 रकबा 0.01 है0 खं0नं0 337 रकबा 0.27 है कुल किता 3 रकबा 0.29 है0 भूमि पर वादी के खातेदारी एवं कब्जे काष्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न हो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 141/2019	धारा अन्तर्गत 188 आर.टी.एक्ट	निर्णय दिनांक : 28.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

श्यामलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति छीपा निवासी बारां तहसील व जिला बारां

बनाम

गोपाल पुत्र नन्दकिशोर जाति सेन (नाई) निवासी बाबजी नगर मालियों की बाड़ी, बारां तहसील व जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील बारां की आराजी खं0 नं0 335 रकबा 0.01 है0, खं0नं0 336 रकबा 0.01 है0 खं0नं0 337 रकबा 0.27 है कुल किता 3 रकबा 0.29 है0 भूमि पर वादी के खातेदारी एवं कब्जे काष्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न हो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 28.09.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner